संख्या- 49 /2024/ 149 मु0मं0न0सृ0यो0/नौ-2-2024/ई-1781754

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 14 मार्च, 2024**

विषय: मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित नगर पंचायत, कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल, जनपद-गोरखपुर को धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/612/28-मु0मं0न0सृ0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-05.03.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त पत्र में उल्लिखित निकायों हेतु मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल, जनपद-गोरखपुर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा मूलभूत आवश्यक विकास/ सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से नवसृजित नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल, जनपद-गोरखपुर में निम्न विकास कार्य कराने हेतु कुल धनराशि रू0 908.65 लाख (रू0 नौ करोड़ आठ लाख पैंसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में सम्पूर्ण धनराशि रू0 908.65 लाख (रू0 नौ करोड़ आठ लाख पैंसठ हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क्रम सं0	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	वार्ड नं0 7 तैयब के स्कूल से हरिलाल के मकान होते हुए बांसगांव खजनी मेन रोउ तक दोनो तरफ आर0सी0सी0 नाली एवं स्लैब का निर्माण कार्य।	38.94	38.94

2	वार्ड नं0 7 में जीते राजभर के मकान से जोगेन्दर राजभर के मकान होते हुए पिच रोड सी0सी0 रोड एवं कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	25.95	25.95
3	वार्ड नं0 1 में रविन्दर के मकान से साधू सरण के मकान होते हुए बृजेश मास्टर तक आर0सी0सी0 रोड एवं कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माणक कार्य।	39.11	39.11
4	वार्ड नं01 में प्रेम के मकान से तिराहा/पिच तक सी0सी0 रोड एवं कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	32.40	32.40
5	वार्ड नं0 3 में विभूति के मकान से साधू यादव के मकान होते हुए त्रिभुवन यादव के मकान तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	38.85	38.85
6	वार्ड नं0 2 में रमाकान्त के मकान से ट्रान्सफार्मर तक दोनो तरफ कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	36.12	36.12
7	वार्ड नं0 2 में मुख्य मार्ग/ट्रांसफार्मर से पश्चिम तरफ हनुमान मंदिर होते हुए दयालु यादव के मकान तक सी0सी0 रोड एवं कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	35.42	35.42
8	वार्ड नं0 2 में ईन्नर के मकान से मंटू के मकान होते हुए बाबूलाल के मकान तक सी0सी0 रोड एवं कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	28.24	28.24
9	वार्ड नं0 2 में रविन्द्र के मकान से रामसजन के मकान तक एवं रामानंद के मकान से रामानुज के मकान होतेहुए हरिहर के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	20.73	20.73
10	वार्ड नं0 11 में दिलीप के मकान से अम्बेडकर मूर्ति/टेकवार चौराहा तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	25.45	25.45
11	वार्ड नं0 4 में सुनिल त्रिपाठी के मकान से राजेन्द्र तिवारी के दुकान तक सी0सी0 रोड एवं दोनो तरफ कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	22.35	22.35
12	वार्ड नं0 11 में कलाब साई के दुकान से अमन ट्रेडर्स होते हुए सदर अंसारी के मकान तक अवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माणक कार्य।	31.83	31.83
13	वार्ड नं0 11 में फागू माली के मकान से मेन रोड तक सी0सी0 रोड एवं कवर्ड	8.32	8.32

	आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।		
14	वार्ड नं0 11 में मुराद के मकान से शमशाद के मकान तक सी0सी0 रोड एवं कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य	13.78	13.78
15	15 वार्ड नं0 11 में तैययब के मकान से मेन रोड तक एवं आस मोहम्मद से यासिन के मकान तक सी0सी0 रोड एवं कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माणक कार्य।	28.73	28.73
16	वार्ड नं0 11 में जमरू के जमीन से अतहर के मकान एवं हाफिज जी के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	11.47	11.47
17	वार्ड नं0 11 में रामपाल सिंह के हाता से मकसूद साह के मकान होते हुए मदरसा स्कूल तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	31.83	31.83
18	वार्ड नं0 11 में पुजारी के मकान से तैयब के मकान होते हुए आफताब के मकान तक सी0सी0 रोड एवं कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	34.27	34.27
19	वार्ड नं0 14/9 में श्रीभगवत विश्वकर्मा के दुकान से फकरूदीन के मकान तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	32.45	32.45
20	वार्ड नं0 14 में रामनाथ साहनी (वकील) के मकान से राहुल जायसवाल के मकान होते हुए चन्द्रशेखर के मकान तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	32.45	32.45
21	वार्ड नं0 14 में सी0के0 गौड़ के मकान से गोरख जायसवाल के मकान होते हुए नई बाजार तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	31.66	31.66
22	वार्ड नं0 13 में अनुराग त्रिपाठी के मकान से तिराहा/मौर्या जी के दुकान तक सी0सी0 रोड एवं दोनो तरफ कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	38.05	38.05
23	वार्ड नं0 12 में मधु वर्मा के बाउन्ड्री से पिच रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	12.83	12.83
24	वार्ड नं0 4 में गामा यादव के मकान से मगरू चौहान के मकान होते हुए हरिकिशुन चौहान के मकान तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	20.82	20.82
25	वार्ड नं0 4 में अवघड़ बाबा के स्थान से मन्दिर होते हुए दयाशंकर पासवान के मकान तक	38.15	38.15

	आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।		
26	वार्ड नं0 1 में नादिर खान के मकान से गुडडू अहमद के मकान होते हुए जमिरूद्धिन के मकान तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	32.45	32.45
27	वार्ड नं0 1 में प्रकाश के मकान से लालचन्द के मकान होते हुए उदयभान के मकान तक सी0सी0 रोड एवं कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	37.29	37.29
28	वार्ड नं0 1 में में जगत के मकान से कतवारू के मकान होते हुए रमेश के मकान तक सी0सी0 रोड एवं दोनो तरफ कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	33.20	33.20
29	वार्ड नं0 4 में राजन साहनी के मकान से ओमकार साहनी के मकान तक सी0सी0 रोड एवं कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	30.39	30.39
30	वार्ड नं0 03 में विभूति के मकान से पक्के नाले तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	25.97	25.97
31	Providing Estimate Of 92Nos Street Light On 7 Mtr Octagonal Pole With Single Arm Brecket Two Nos 70 Watt LED Street Lighting Complete All Work	39.15	39.15
	कुल योग	**908.65**	**908.65**

नियम व शर्ते /प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2023-बी-1-322/दस-2023, ई-पत्रावली सं0-10-5002/ 125/ 2021, दिनांक-02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
4. कार्यों हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

7. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।

8. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

9. प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।

10. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

11. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

12. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

13. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

14. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

15. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

16. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

17. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यादेश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें।

18. संबंधित निकाय द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत निर्गत की जा रही धनराशि में निर्णयोंपरान्त एक प्रतिशत ए0एण्ड0ओ0ई0 मद की धनराशि सम्मिलित है। जिन निकायों द्वारा प्रत्येक कार्य की लागत में तीन प्रतिशत, आई0ई0सी0 एवं ए0एण्ड0ओ0ई0 मद की धनराशि शामिल की गयी है, उन निकायों को केवल एक प्रतिशत ए0एण्डओ0ई0 मद में व्यय करने की अनुमति है। शेष धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

19. निर्गत की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकायों को उपलब्ध करायी जाये।

20. निर्गत की जा रही धनराशि से निकायों द्वारा 03 माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यों की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

21. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स् अपलोड किये जायेंगे।

22. प्रस्तावित कार्यों के संबंध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये तथा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त शासनादेश दिनांक-08.08.2022 के अन्तर्गत गठित समिति के माध्यम से सत्यापन भी करा लिया जाये।

23. समस्त निकाय द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में नवसृजित/विस्तारित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाय। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, संबंधित निकाय/अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय की होगी।

24. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,08,65,000.00 (रुपये नौ करोड़ आठ लाख पैंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217801930300 नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally Signed by संजय कुमार तिवारी
Date: 14-03-2024 16:41:18
Reason: Approved

भवदीय,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या- 49 (1) / 149 मु0मं0न0सृ0यो0/नौ-2-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) मण्डलायुक्त, गोरखपुर।

(7) जिलाधिकारी, गोखपुर।

(8) अधिशासी अधिकारी, नवसृजित नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल, जनपद-गोरखपुर।

(9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।

(10) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

(12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।